कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 23.06.2026

थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा हत्या व आर्म्स एक्ट के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आत्मसमर्पण के उपरांत किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल SBBL गन, खोखा कारतूस व शस्त्र लाइसेंस बरामद किए गए।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 22.06.2026 को वादी छत्रपाल पुत्र धीरज निषाद निवासी ग्राम ओगासी थाना मर्का जनपद बाँदा द्वारा थाना गाजीपुर पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 21.06.2026 को समय करीब 11:30 बजे रात्रि ग्राम अहिरनखेड़ा में आयोजित विवाह समारोह के दौरान आरोपी राजेन्द्र तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी पुत्र सीताराम निवासी जमोह मजरे लहेटा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर द्वारा वादी के पिता धीरज पुत्र बदलूराम के साथ गाली-गलौज करते हुए अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया, जिससे वादी के पिता को गोली लगने से गंभीर चोट आई तथा उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 159/2026 धारा-103(1)/109/352 बी0एन0एस0 व 27/30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के कुशल निर्देशन में अपराधियों व वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जाफरगंज के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 22.06.2026 को थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-159/2026 धारा 103(1)/109/352 बी0एन0एस0 व 27/30 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजेन्द्र तिवारी उर्फ पप्पु तिवारी पुत्र सीताराम निवासी ग्राम जमोह मजरे लम्हेटा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर को थाना गाजीपुर में आत्मसमर्पण करने के उपरांत नियमानुसार हिरासत में लिया गया। थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को आज दिनांक 23.06.2026 को माननीय न्यायालय भेजा गया।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त राजेन्द्र तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी पुत्र सीताराम निवासी ग्राम जमोह मजरे लम्हेटा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 48 वर्ष से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि कल्लू पहलवान उसका मित्र है, जिसके साथ वह पहलवानी करता था। कल्लू पहलवान की भांजी के विवाह समारोह में निमंत्रण पर वह अपनी लाइसेंसी रायफल लेकर गया था। विवाह समारोह के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद होने लगा। उसी विवाद के दौरान उसकी रायफल से गोली चल गई, जिससे धीरज निषाद पुत्र बदलूराम निवासी औगासी थाना मर्का जनपद बाँदा की मौके पर मृत्यु हो गई तथा अन्य कुछ लोग घायल हो गये।

अभियुक्त ने बताया कि घटना के बाद वह अपनी रायफल लेकर मौके से भाग गया तथा रायफल को अपने ट्यूबवेल पर छिपाकर रख दिया। उसने यह भी बताया कि घटना में फायर किया गया कारतूस रायफल की नाल में ही फंसा हुआ है। अभियुक्त की निशानदेही एवं बरामदगी के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक SBBL गन (12 बोर), एक खोखा कारतूस 12 बोर तथा उक्त शस्त्र से संबंधित एक मूल शस्त्र लाइसेंस बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त घटना आवेश एवं आपसी विवाद के कारण घटित हुई।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 SBBL गन (आलाकत्ल)
2. 01 खोखा कारतूस 12 बोर
3. 01 शस्त्र लाइसेन्स

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

राजेन्द्र तिवारी उर्फ पप्पु तिवारी पुत्र सीताराम निवासी ग्राम जमोह मजरे लम्हेटा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 48।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार पटेल, थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।
2. वरि0उ0नि0 हरिनाथ सिंह
3. रि0का0 अवनीश कुमार
4. रि0का0 आकाश
5. रि0म0का0 चन्दा गुप्ता